उत्तर प्रदेश सिन्धी अकादमी, लखनऊ

सिंधी शिक्षामित्र मानदेय व्यवस्था विवरण हेतु आवेदन पत्र

वित्तीय वर्ष ....

1. शिक्षक का नाम...
2. पिता का नाम..
3. जन्मतिथि..
4. शैक्षिक योग्यता..
5. सिन्धी विषय से इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण करने का वर्ष ....
6. सिन्धी विषय से हाईस्कूल की परीक्षा हेतु अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या.......................
7. सिन्धी विषय से इण्टर की परीक्षा हेतु अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या...........................
8. शिक्षक का वर्तमान सेवापद/व्यवसाय ....
9. स्थायी/पत्राचार पता...

   ....
10. मोबाईल नम्बर...
11. अन्य आवश्यक सूचना...
12. इस प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों की सूची:

    क. छात्रों का वायोडाटा जिसमें छात्र का नाम, पिता/अभिभावक का नाम, पता, कक्षा एवं मोबाईल नम्बर अंकित किया जाना अनिवार्य है।

घोषणा पत्र

एतद्द्वारा मै घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त दी गयी समस्त सूचनायें मेरे संज्ञान में सत्य है साथ ही मै किसी भी विद्यालय में स्थायी/अस्थायी अध्यापक के पद पर सरकारी सेवा में सेवारत नही हूँ। यदि मेरे द्वारा उपलब्ध करायी गयी कोई भी सूचना गलत पायी जाती है तो अकादमी द्वारा प्राप्त मानदेय मेरे द्वारा वापस किया जायेगा।

दिनॉक.......................................

आवेदक के हस्ताक्षर..............................

नाम...

उत्तर प्रदेश सिन्धी अकादमी, लखनऊ

सिंधी शिक्षामित्र मानदेय व्यवस्था विवरण–2018

1. यह नियमावली उत्तर प्रदेश सिन्धी अकादमी शिक्षक मानदेय नियमावली कहलायेगी।
2. इस नियमावली का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में सिन्धी पढ़ाने वाले गैर सरकारी एवं गैर वेतन भोगी व्यक्तियों का मनोबल बढ़ाना है।
3. यह नियमावली सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगी।
4. सिन्धी पढ़ाने वाले व्यक्तियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना अनिवार्य है तथा शैक्षिक योग्यता सिन्धी विषय से इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
5. शिक्षक के मानदेय की धनराशि सिंधी विषय से उत्तीर्ण छात्रो हेतु प्रति छात्र रू0 5000.00 (रू0 पॉच हजार मात्र) की दर से शिक्षक को देय होगी। यह मानदेय वार्षिक होगा तथा आवेदन के साथ संबंधित उत्तीर्ण छात्रों के अंकपत्र/प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करने के उपरान्त देय होगा।
6. कोई भी अध्यापक/अध्यापिका व्यक्तिगत रूप से अथवा कोई स्वयंसेवी या संगठन द्वारा सिन्धी विषय में उपरोक्तानुसार शिक्षण कर इस योजना में सम्मिलित हो सकता है।
7. यदि कोई अध्यापक/अध्यापिका सेवा निवृत्त होने के पश्चात् सिन्धी विषय से हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट के छात्रों को पढ़ाता है तो वह अकादमी की इस योजना से आच्छादित होगा।
8. इस योजना के लाभार्थी को अकादमी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर संबंधित सूचनाओं को भरकर प्रतिवर्ष 15 सितम्बर तक अकादमी कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा संबंधित वर्ष उसे इस योजना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
9. निर्धारित दिनॉक के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
10. निर्णय के समस्त अधिकार अकादमी में निहित होंगे।